सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 252/21 **दिनांक- 31 मई 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना निजामाबाद

अपहरण के अभियोग में फरार चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार व अपहृता बरामद

दिनांक 04.04.2021 को श्रीमती आशा पत्नी जगदीश गौड़ साकिन शिवराजपुर थाना निजामाबाद ,आजमगढ की पुत्री को अजय पाल पुत्र रामप्रसाद पाल साकिन केवटाडीह(शिवराजपुर) थाना तहबरपुर आजमगढ़ द्वारा दिनांक 02.04.21 को बहला फुसला के भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 64/21 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त अभियोग में नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी महोदय थाना निजामाबाद के कुशल नेतृत्व में उ 0नि0 श्री मोतीलाल पटेल मय हमराहियान के अभियुक्त व अपहृता के गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु मिलने के संभावित स्थानो पर दबिश दी जा रही थी कि जरिये सर्विलांस आफिस सूचना मिली कि मु 0अ0स0- 64/21 धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अजय पाल पुत्र रामप्रसाद पाल साकिन केवटाडीह(शिवराजपुर) थाना तहबरपुर आजमगढ़ व अपहृता का लोकेशन जनपद आजमगढ़ रोडवेज है जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर उ 0नि0 मय रोडवेज बस स्टैण्ड आजमगढ़ पहुंचे तो वहां पर खड़े एक व्यक्ति व महिला की तरफ देखने पर व फोटो मिलान करने पर विश्वास हुआ कि दोनों मुकदमें से संबंधित अभियुक्त व अपहृता है। व्यक्ति के पास पहुच कर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अजय पाल पुत्र रामप्रसाद पाल साकिन केवटाडीह(शिवराजपुर) थाना तहबरपुर आजमगढ़ बताया तथा साथ में खडी महिला के सम्बन्ध में पूछा गया तो हडबडाने लगा कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि साहब यह वही लड़की है जिसको लेकर चला गया था। इत्मिनान होने के उपरान्त महिला को म0का0 के अभिरक्षा में लेकर कारण गिरफ्तानरी बताते हुए अभियुक्त व अपहृता को समय 08.30 बजे हिरासत मे लेकर मा 0 न्यायालय चालान किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0- 64/21 धारा 363,366, थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- अजय पाल पुत्र रामप्रसाद पाल साकिन केवटाडीह(शिवराजपुर) थाना तहबरपुर आजमगढ़

बरामदगी - अपहृता थाना निजामाबाद ,आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री मोतीलाल पटेल थाना निजामाबाद आजमगढ
2. का0 निलेश सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. म0का0 पुष्पलता सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

घर में घुसकर मारपीट करने वाले 06 वांछित गिरफ्तार

दिनांक –30 .05.2021 को समय 21.00 बजे आवेदकसमशुद्दीन पुत्र स्व0 पल्टू मुहल्ला पुराखिजीर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया किआज समय करीब 3.00 बजे शाम को अपने घर पर अपने घर वालो के साथ मौजूद था कि मुहल्ला पुरारानी के निवासी विपक्षीगण एक राय होकर के एक साथ मेरे घर आकर मुझे गाली गुप्ता देते हुए कहने लगे घर खाली करो इतना कहते ही सभी लोग एकराय होकर घर को कब्जा करने की नियत से घर मे घूस गये तथा घर की सभी औरतो को मारने पिटने लगे तथा घर का सामान बाहर फेक दिए हमारे घर की महिलाए विरोध की तो विपक्षीगण द्वारा घर की औरतो को तथा मुझे मारने पिटने लगे जिससे मेरे लड़के अली अरशद तथा मेरी लड़की आशमा खातून व मेरी नतीनी उजमा खातून को काफी चोटे आयी है। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये कि प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थीजिसके क्रम में –

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर श्री अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर पुलिस टीमको सूचना प्राप्त हुआ कि उक्त अभियोग का वॉछित अभियुक्तगणकही जाने के फिराक में आजाद नगर अम्बेडक स्कूल के पास पर खड़े है यदि जल्दि किया जाय तो पकड़ा जा सकता है कि सूचना पर विश्वास करके थाना मुबरकपुर पुलिस टीम द्वारा तत्परता करते हुए आजाद नगर अम्बेडकर स्कूल के पासपहुचे जहां उक्त अभियोग का वांछित अभियुक्तगणोको कारण गिरफ्तारी बताते हुए दिनांक- 31.05.2021 समय 10.05बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 118/2021 धारा 147,452,323,504,506,427,447भा0द0वि0

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. इम्तेयाज अहमद पुत्र मो0 आरीफ सा0 पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

2. सालिम उर्फ अबू सालिम पुत्र मो0 इरशाद अहमद सा0 पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. दिलशाद बानो पत्नी इरशाद अहमद सा0 पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. अफ्सरफुननिशा पुत्री मो0 आरीफ सा0 पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
5. तसरीफुन्निसा पुत्री मो0 आरीफ सा0 पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
6. समा परवीन पुत्री इरशाद अहमद सा0 पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पूछताछ का विवरण –सभीअभियुक्तगण पूछने पर बता रहा है कि साहब हमलोगो व समशुद्दीन के मध्य जमीन का विवाद है, हमलोगो ने सोचा कि समशउद्दीन कमजोर है हम लोग मिलकर उसके घर में घुस कर उसके परिवीर वालो को मार पीट कर भगा देगे जमीन और घर पर कब्जा कर लेगे इसीलिए हम लोगो ने उन लोगो को मार पीट कर आतंकित कर घर से बाहर भगा दिया जब पता चला कि पुलिस आ रही है तो हम लोग भी वहाँ से भाग गये। आज हम लोग पुनः उसी मकान पर कब्जा करने के लिए एकत्र हुए थे कि तभी आप लोगो ने हमे पकड़ लिया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण –

1. उ0नि0 कमलनयन दुबे, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 रविन्द्र कुमार सिंह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 सुधीर कुमार सिंह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 अश्फाक अंसारी,थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
5. का0 अभय नारायण यादव,थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
6. का0 अवधेश कुशवाहा, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
7. म0का0 मोहिनी तिवारी, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
8. म0का0 चन्दा कुशवाहा, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
9. म0का0 आरती द्विवेदी प्रथम, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
10. म0का0 प्रियंका भारती, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना- मेहनगर

<u>अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार</u>

नांक 26.05.21 समय करीब 14.00 बजे ग्राम चन्दनी मे जमीनी सम्बन्धित विवाद व पुरानी रंजिश को लेकर वादी कुल गौरव सिंह के पिता रामनवल सिंह उम्र 55 वर्ष को अभियुक्त ओमप्रकाश सिहं के ललकारने पर शिवम सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिहं द्वारा वादी के पिता रामनवल सिंह को गोली मार दी गयी गोली रामनवल सिंह के दाहिने जांघ पर लगी , वादी श्री कुलगौरव सिहं के लिखित तहरीर पर दिनांक 26.05.2021 को ही थाना स्थानीय मु0अ0सं0 103/21 धारा 307/352/504 भा0द0वि0 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत होकर निरी0 अपराध राजेश कुमार मिश्रा द्वारा विवेचना प्रचलित है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस आधिक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल पर्यवेक्षण निरीक्षक अपराध राजेश कुमार मिश्र मय हमराहियान के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन तलाश वांछित अभियुक्त व मु0अ0सं0 103/21 धारा 307/323/352/504 भा0द0वि0 की विवेचना मे मामूर होकर अभियुक्त शिवम सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह को दबिश देकर अभियुक्त कोगोपालपुर तिराहे गेट से कारण गिरफ्तारी व जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 06.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-अभियुक्तशिवम सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह सा0 चान्दनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी सफाई जरिये अधिवक्ता मा0 न्यायालय देना बता रहे है।

पंजीकृत अभियोग- 1- मु0अ0सं0 103/21 धारा 307/323/352/504 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट

1. गिरफ्तार अभियुक्तगण –1.शिवम सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह सा0 चान्दनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ।

2. बरामदगी-01 अदद तमंचा 315, 01अदद जिंदा कारतूस 315, 01 अदद खोखा कारतूस 315

6.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- निरीक्षक अपराध राजेश कुमार मिश्र मय हमराहियान के

<u>थाना कोतवाली</u>

<u>चोरी की एक अदद मोटर साइकिल के साथ एक गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री निष्ठा उपाध्याय के कुशल पर्वेक्षणव प्र0नि0 कंधरापुर के नेतृत्व मेंअलग –अलग टीम गठित कर अपराध/अपराधीयो की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर सन्दिग्धव्यक्ति / वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबीर खास की सूचना प्राप्त हुआ जिसके क्रम में -

प्र0नि0 घनश्याम यादव मय उ0नि0 ज्ञानचन्द्र शुक्ल मय हमराह कां0 भवानी दीन, कां0 नीरज खरवार, कां0 अमित कुमार, कां0 अवध नरायन थाना कंधरापुर व कोतवाली आजमगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 30.5.21 को समय 17.45 बजे करतालपुर तिराहे से एक नफर अभियुक्त श्याम बहादुर यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव निवासी ग्राम जमीलपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु 0अ0सं0 129/21 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित मो 0सा0नं0 यूपी50एवी 8683बरामद किया गया।अभियुक्त को गिरफ्तारकर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 129/21 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

बरामदगी माल का विवरण-

1-एक अदद मो0सा0 नं0 *UP50AV8683* सुपर स्पलेन्डर

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. श्याम बहादुर यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव निवासी ग्राम जमीलपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. प्र0नि0 घनश्याम यादव थाना कंधरापुर थाना कोतवाली आजमगढ़
2. उ0नि0 ज्ञानचन्द्र शुक्ल प्रभारी चौकी सिविल लाईन थाना कोतवाली आजमगढ़
3. कां0 भवानी दीन थाना कंधरापुर थाना कोतवाली आजमगढ़
4. कां0 नीरज खरवारथाना कंधरापुर थाना कोतवाली आजमगढ़
5. कां0 अमित कुमारथाना कंधरापुर थाना कोतवाली आजमगढ़
6. कां0 अवध नरायन थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

थाना कोतवाली

अवैध तमंचा व कारतुस के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री निष्ठा उपाध्याय के कुशल पर्वेक्षण व प्र0नि0 श्री कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग –अलग टीम गठित कर अपराध/अपराधीयो की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संन्दिग्धव्यक्ति / वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबीर खास की सूचना प्राप्त हुआ जिसके क्रम में -

उ0नि0 शिवकुमार कुशवाहा व उ0नि0 विनय कुमार दुबे, हमराह कां0 रंजित साहू, कां0 प्रमोद कुमार, कां0 कमलेश कुमार, कां0 अमरजीत निषाद व ईगल मोबाइल के कर्म 0गण कां0 अरूण कुमार पाण्डेय व कां 0 अवधेश यादव थाना कोतवाली आजमगढ़ की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 30.5.21 को समय 18.10 बजे हाफिजपुर चौहारा बहद ग्राम बलरामपुर में एक नफर अभियुक्त सचिन चौहान पुत्र साहबलाल चौहान निवासी ग्राम तरफ काजी थाना देवगांज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद नजायज तमन्चा 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर का बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पर मु 0अ0सं0 159/2021 धारा 3/ 25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

2. मु0अ0सं0 159/2021 धारा 3/ 25 शस्त्र अधिनियमथाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

बरामदगी माल का विवरण-

1-एक अदद नजायज तमन्चा 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. सचिन चौहान पुत्र साहबलाल चौहान निवासी ग्राम तरफ काजी थाना देवगांज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. उ0नि0 शिवकुमार कुशवाहा थाना कोतवाली आजमगढ़ मय हमराह।
2. उ0नि0 विनय कुमार दुबे थाना कोतवाली आजमगढ़ मय हमराह।